सार्वजनिक सूचना

[दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आईबीसी") की धारा 102 के तहत]

सुश्री पलका ढींगरा

के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ–V ने कॉरपोरेट देनदार यानी **मैसर्स जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड** को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए व्यक्तिगत गारंटकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी की धारा 95 के तहत भारतीय स्टेट बैंक (संकल्प पेशेवर के माध्यम से) द्वारा दायर सी.पी. (आई.बी.) संख्या 740 (पी.बी.)/2022 में अपने आदेश दिनांक 18.09.2026 (आदेश की प्रति 21.09.2026 को अपलोड की गई) के माध्यम से **सुश्री पलका ढींगरा के खिलाफ आईबीसी की धारा 100** के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

तदनुसार, **सुश्री पलका ढींगरा** के लेनदारों को एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावों को **15.10.2026** को या उससे पहले एआरसीके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग (सी.पी.), नई दिल्ली –110001 के पते पर या ईमेल के माध्यम से **pgjmdoil@gmail.com** पर प्रस्तुत (पंजीकृत) करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, या हाथ से, या पंजीकृत डाक द्वारा, या स्पीड पोस्ट से, या कूरियर के माध्यम से अपने दावों का विवरण प्रस्तुत (पंजीकरण) कर सकते हैं।

	व्यक्तिगत गारंटर **सुश्री पलका** ढींगरा का विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	**सुश्री पलका ढींगरा**
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	निवासीः 5/1–बी रमेश नगर, नई दिल्ली–110015
3.	दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	**18.09.2026** (आदेश की कॉपी 21.09.2026 को अपलोड की गई)
4.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	17.03.2027
5.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	15.10.2026
	समाधान पेशेवर का विवरण	
6.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या, जो समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे है	**श्री चंचल दुआ** **IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-2018/10821** एएफए की वैधता तिथि: 31.12.2026
7.	समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पताः 5/36, पहली मंजिल, रमेश नगर, नई दिल्ली – 110015, एनसीटी ऑफ दिल्ली **ईमेलः** chanchalduaco@gmail.com
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई–मेल	**पताः** 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 **ईमेलः** pgjmdoil@gmail.com फोनः 011–45101111/40078344

झूठे या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।

(हस्ता/–)
चंचल दुआ
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

दिनांकः **24.09.2026**
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

[दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आईबीसी") की धारा 102 के तहत]

श्री नरेश ढींगरा

के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ–V ने कॉरपोरेट देनदार यानी **मैसर्स जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड** को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए व्यक्तिगत गारंटकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी की धारा 95 के तहत

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 2009–2014, 20वीं मंजिल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, सेक्टर–58, गुरुग्राम (हरियाणा) – 122002
सीआईएनः U65922HR2016PTC057984.

सरफेसी अधिनियम की धारा (13)2 के तहत मांग सूचना

चूंकि ऋण खाता एनपीए बन गया है, इसलिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के तहत अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदार/आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता को 60 दिनों की मांग सूचना जारी की थी। सूचना के अनुसार यदि कर्जदार 60 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा नहीं करते हैं, तो राशि नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्तियों की नीलामी से वसूल की जाएगी। इसलिए, कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे संपूर्ण ऋण राशि भावी ब्याज और खर्चों के साथ मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा कर दें, अन्यथा उक्त अधिनियम के प्रावधान 13 [4] और 14 के तहत नीचे दिए गए अनुसार बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री के लिए अधिकृत प्राधिकारी कब्जा ले लेंगे।

कर्जदार ध्यान रखें कि अधिनियम, 2002 के 13[13] के संदर्भ में इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आपको प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित और निषिद्ध किया जाता है।

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम की के नियम नियम 3[5] के साथ पठित धारा–13[8] की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके अनुसार नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले कर्जदार उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि के भुगतान पर अपनी प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित करने का हकदार होगा, जो उसके बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

क्र.सं.	कर्जदार/आवेदक/जमानती/ बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि
1.	1. संतोष देवी लेखराज पत्नी लेखराज (कर्जदार) 2. लेखराज पुत्र हेमराज (सह–कर्जदार) 3. कुशल कुमार पुत्र लेखराज (सह–कर्जदार) उपरोक्त सभी निवासी- 206, नानू कलां (27), निकट–पंचायत भवन नानूकलां, तहसील–पटौदी, गुड़गांव, हरियाणा–122414 ऋण संख्या - **LXGGN02223-240032717** ऋण अनुबंध दिनांकः 19–जनवरी–24 ऋण राशि रु. 13,50,000/-	08–सितंबर–2026 को रु. 13,13,153/– (रुपये तेरह लाख तेरह हजार एक सौ तिरपन मात्र) + 09–सितंबर–2026 की तारीख से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क
	बंधक सम्पत्ति का विवरणः– आवासीय घर का वह समस्त भाग जिसका खेवट नंबर 380/1, खाता नंबर 393/1, किला नंबर 397(1–1), 7 मरला यानी 211 वर्ग गज (1 कनाल 1 मरला में से 1/3 हिस्सा) है, जो वाका सिवाना मौजा, नानू कलां, तहसील–पटौदी, जिला–गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्व- सड़क, पश्चिम- नरेश का घर, उत्तर- उषा देवी का घर, दक्षिण- हेमराज का घर।	
2.	1. जोगेंद्र पाल सिंह पुत्र सिया राम सिंह (कर्जदार), 2. रजनी देवी पत्नी जोगेंद्र पाल सिंह, (सह–कर्जदार), दोनों मकान नंबर से ऊपर। 52–ए, ग्राउंड फ्लोर, खसरा नंबर 33/3, जैन कॉलोनी, पार्ट–3, उत्तम नगर, दिल्ली–110059, साथ ही- ई–67, नन्हे पार्क, मटियाला, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110059 ऋण संख्या- **LXJNP02924-250044895** ऋण अनुबंध दिनांकः 21–नवंबर–24 ऋण राशि रु. 15,01,000/-	09–सितंबर–2026 को रु. 15,50,068/– (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार अड़सठ मात्र) + 10–09–2026 की तारीख से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क
	बंधक सम्पत्ति का विवरण- प्लॉट नंबर 15–ए वाली बनी हुई सम्पत्ति का वह समस्त भाग, जिसमें छत/टेरेस और नीचे की जमीन के अधिकार शामिल हैं, जिसका माप 26 वर्ग गज यानी 21.74 वर्ग मीटर है (खसरा नंबर 33/1/1 में से), जो गांव मटियाला, आबादी जिसे जैन कॉलोनी, पार्ट–III, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 के नाम से जाना जाता है, में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्व- 20 फीट की सड़क, पश्चिम- प्लॉट का हिस्सा, उत्तर- प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण- प्लॉट का हिस्सा।	
3.	1. बृजेश कुमार सुषमा पुत्र गिरेंद्र सिंह (कर्जदार), 2. सुषमा पुत्री बृजेश कुमार (सह–कर्जदार) दोनों निवासी- एस–53/74, गांधी कैंप, श्रीनिवासपुरी, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली–110065, 3. पूनम पत्नी पुष्पेंद्र (सह–कर्जदार), 4. पुष्पेंद्र पुत्र गिरेंद्र सिंह (सह–कर्जदार), दोनों का पता- एस–53/65, गांधी कैंप, श्रीनिवासपुरी, पीओ- ईस्ट ऑफ कैलाश, फेज–1, साउथ दिल्ली, दिल्ली–110065	09–सितंबर–2026 को रु. 3,89,316/– (रुपये तीन लाख नवासी हजार तीन सौ सोलह मात्र) + 10–09–2026 की तारीख से आगे का ब्याज और